राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण–नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम

डॉ. खेमचन्द गुर्जर
व्याख्याता
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग
एस.एन.के.पी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमकाथाना (राजस्थान)

भारत गांवों का देश है। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवो का देश है जिसकी आत्मा गांवों में निवास करती है। अतः भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार अर्थात् गांव को विकसित नहीं किया जाये। गांधीजी के सपने को साकार करने हेतु राष्ट्र में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को विकसित करने की वकालत की गई तथा सर्वप्रथम भारत के राजस्थान प्रांत के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा पंचायत राज का श्री गणेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता विकेंद्रीयकरण करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्तर पर जनता के विकास में सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना था।

भारत में 24 अप्रैल, 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया जो पंचायती राज व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय जनता की सहभागिता प्रारंभ से ही अंगीकार की गई थी परंतु यह सुअवसर केवल पुरूषों के लिए ही उपलब्ध रहा है। मात्र दो महिला सदस्यों का ग्राम पंचायतों में मनोनयन किया जाता था परंतु नवीन पंचायती राज कानून 1993 में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं सक्रिय सहभागिता से संबंधित प्रावधान लागू किया गया।

राजस्थान में भी उक्त संशोधित पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल, 1994 को लागू किया गया। नवीन व्यवस्था के अनुसार पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर अर्थात् जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर एक तिहाई सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित कर दी गई है। संशोधन अधिनियम तथा 2008 में राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था में महिला आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया गया है। महिला वार्ड हेतु आरक्षित सीट से केवल महिला सदस्य ही चुनाव लड़ सकती है व साथ ही वे अनारक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने के योग्य है।

राजस्थान में नवीन व्यवस्था के तहत सर्वप्रथम जनवरी–फरवरी, 1995 में पंचायती राज चुनाव करवाये गये तथा दूसरी बार यह चुनाव जनवरी–फरवरी, 2000 में संपन्न हुए तथा उसके बाद भी 5 वर्ष के अन्तराल में पंचायतीराज के चुनाव सम्पन्न हुये। सभी चुनावों में भारी संख्या में महिलाओं ने अपनी रूचि दर्शाई तथा चुनाव जीतकर आई। अतः यहां महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि यह नवीन व्यवस्था, जो कि महिला आरक्षण के संबंध में लागू की गई है वह कितनी प्रभावशाली तरीके से कारगर सिद्ध हो रही है? महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण व्यवस्था के संवैधानिक पहलू एवं उद्देश्य का औचित्यजनक सरोकर कहां तक साबित हो पा रहा है। महिलाओं द्वारा जन प्रतिनिधियों एवं राजनीतिज्ञों के रूप में किये जा रहे कार्यो से उनके अनुभवों एवं समस्याओं की जानकारी होना भी जरूरी है ताकि महिलाओं द्वारा संपन्न की

जाने वाली कार्यप्रणाली एवं कार्यदक्षता को किस प्रकार सुधारा जा सकता है एवं इस हेतु कौन से सुझाव दिये जा सकते है जो इस क्षेत्र में प्रभावोत्पादक साबित हो सकें।

प्रस्तुत लेख में इन सभी मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए यह विवेचन प्रस्तुत किया गया है कि राजस्थान में महिला आरक्षण की सार्थकता एवं प्रासंगिकता क्या अपने संवैधानिक औचित्य की कसौटी पर खरी उतर रही है एवं महिलाओं को दिया गया आरक्षण महिला सशक्तिप्रकरण के लिये कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी संदर्भ में यह लेख पंचायाती राज अध्ययन संबंधी एक सर्वेक्षण पर आधारित अनुभवों से ओत–प्रोत है जो महिला आरक्षण के औचित्य, समस्याओं एवं समाधानो को प्रत्येक दृष्टिकोण से जांचने का प्रयास करता है।

सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को ग्राम सत्ता भागीदारी निभाने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनको सामाजिक रूढ़िवादिता एवं जड़ता, आर्थिक समस्याओं व अशिक्षा के कारण अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। संवैधानिक पक्ष यद्यपि एक प्रशंसनीय कदम कहा जा सकता है जिसके माध्यम से महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलवाने का एक संभावित सार्थक प्रयास है तथा यह नारी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते कदम के रूप में निरन्तर प्रयास है। परंतु व्यवहारिकता में यह ध्येय प्राप्त करने में कुछ जटिलताएं सामने आ रही है।

राजस्थान में अधिकांश महिलाएं आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने को सर्वप्रथम तौ तैयार नहीं होती, और यदि वे जैसे–तैसे अपने पति या परिवार–जनों के दबाव में आकर चुनाव मैदान में उतर भी जाती है तो उनमें से बहुत सी महिलाएं न तो अपने दलीय विचारधारा से वाकिफ होती है और न ही उन्हें यह पता होता कि वे चुनाव में विजयी होकर क्या एवं कौन से विकासत्मक कार्य करेंगी। राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत (1991 की जनगणना के अनुसार) मात्र 20.44 प्रतिशत थी तथा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1 प्रतिशत उसमें भी ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 45.8 प्रतिशत थी जो इस व्यवस्था में प्रमुख बाधक तत्व है। ऐसा देखा गया है कि महिलाए तो पंचायत के किसी भी पद पर नाम की होती है परंतु वास्तविक कार्य एवं राजनीति तो उनके पति या अन्य किसी परिजन द्वारा पर्दे के पीछे राजनीति के समान की जाती है। पंचायती राज की प्रथम सीढ़ी 'ग्राम पंचायत' के संबंध में चाहे वह पद वार्ड पंच का हो या सरपंच का हो, महिलाएं पंचायत की बैठक में केवल अपनी उपस्थिति ही दर्ज कराती है न कि उनके द्वारा बैठक की कार्य विधि की अध्यक्षता एवं संचालन किया जाता है व ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक के प्रस्तावित कार्यावली (एजेंडा) के सबंध में भी अनभिज्ञ होती है। इसके बावजूद भी इस तरह के प्रस्ताव पारित कर दिये जाते है जो उनको स्वयं की जानकारी के बाहर होते हैं। उनकी सहमति असहमति के बारे में उनके परिजन 'ठेकेदारी' निभाने के समान कार्य करते हैं, इसके साथ ही ऐसा भी प्रतीत होता है कि राजनीति क्षेत्र में सामंतवादी प्रभाव वाले व्यक्ति येन–केन–प्रकारेण ग्रामीण जन प्रतिनिधित्व पर अधिकार अपने ही हाथों में काबिज रखना पसंद करते है चाहे उनके परिवार मे योग्य महिला हो या न हो। परिणामस्वरूप स्वतंत्र रूप से अन्य महिला उम्मीदवार कामयाब नहीं हो पाती हैं।

महिला आरक्षण तो कानूनी प्रावधान है परंतु कुछ महिलाओं के सामने सामाजिक अवरोधक तत्व भी आड़े आते है। जैसे–ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में घूंघट प्रथा, बड़े बुजुर्गो के सामने खुलकर सामने न आना, तथा घर से बाहर पंचायत बैठकों में शामिल होने पर घर गृहस्थी में व्यवधान पैदा होने का भय आदि।

सर्वेक्षण से यह भी ज्ञातव्य है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण संबंधी प्रावधान से जहां एक ओर महिलाओं को ग्रामीण सत्ता में भागीदारी निभाने में उक्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह व्यवस्था उनको वर्तमान में बदलते हुए सामाजिक, राजनैतिक परिदृश्य में समकक्ष दर्जा दिलाने हेतु एक प्रशंसनीय कदम है। तथा यह महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने का एक सार्थक प्रयास हैं। अतः पूर्णतः यह कहना भी औचित्यपूर्ण एवं तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है कि इस व्यवस्था से कोई फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि किसी भी प्रावधान या व्यवस्था को नये सिरे से लागू करने में प्रारंभिक स्तर पर कुछ समस्याओं का उभरना स्वाभाविक है। अतः इस हेतु कुछ सावधानियां एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है जैसा कि कहा जाता है कि 'शिशु का पालन करो, बच्चे की रक्षा करो तथा वयस्क को स्वतंत्र छोड़ दो' (nurse the baby, protect the child, free the adult.) अतः यह सवैधानिक प्रावधान अपने शैशवस्था से बाहर निकल चुका है परन्तु सरकार, समाज व आम जनता को इस नवीन व्यवस्था को सफल बनाने हेतु कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए। इसकी भावी सफलता हेतु सरकार द्वारा महिला शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना चाहिए ताकि महिलाओं में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति जागरूकता पैदा हो सके और वे इस व्यवस्था से स्वैच्छिक रूप से अधिकाधिक संख्या में सहर्ष जुड़ सकें व इस व्यवस्था को श्रेष्ठ ढंग से क्रियान्वित कर सकें। यद्यपि हाल ही के वर्षो में राजस्थान सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में किये गये प्रयास सराहनीय है परंतु राज्य में अभी भी इस ओर बहुत अधिक ध्यान दिये जाने को आवश्यकता है। इसके साथ ही सामाजिक सहयोग भी अपेक्षित है। आम जन को भी अपनी संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर स्वतंत्र सोच की ओर बढ़ना चाहिए। महिलाओं को घर की चारदिवारी से बाहर निकलने पर अनावश्यक रोक जैसी मानसिकता का परित्याग करना चाहिए एवं यथासंभव उन्हें आगे भी प्रेरित करना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय गैर–सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को भी अपनी अहम् भूमिका निभानी चाहिए। समय–समय पर महिलाओं के विकास संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये जायें एवं पंचायत व्यवस्थाओं की सफल क्रियान्विति हेतु विभिन्न कार्यशालायें व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाने चाहिए ताकि ग्राम विकास की प्रथम सीढ़ी पंचायती राज की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके व संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकें। और इस प्रावधान के अनुसार नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकें।

संदर्भ

1. अवस्थी एवं माहेश्वरी : लोक प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 1996
2. भल्ला, एल.आर. : राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिकेशन, अजमेर
3. भट्ट, यू.के. शाम : न्यू पंचायतीराज सिस्टम, प्रिन्टवैल, जयपुर, 1995
4. नाथूरामका एल.एन. लक्ष्मीनारायण, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आर.बी.डी. जयपुर
5. ओझा बी.एल., भारत में आर्थिक पर्यावरण, आर.बी.डी. जयपुर